[2010] 2 एस. सी. आर 1

सुधीर कुमार

बनाम

पंजाब राज्य

(2003 की आपराधिक अपील सं. 1327)

14 जनवरी, 2010

[हरजीत सिंह बेदी और जे. एम. पांचाल, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 304-बी-दहेज मृत्यु विवाह के बाद 4 महीने में अपने वैवाहिक घर में 95 प्रतिशत जलने से दुल्हन की मृत्यु-पति, सास-ससुर और मृतक की साली ने मुकदमा चलाया-पति को दोषी ठहराया और अन्य को बरी कर दिया-पति की प्रार्थना कि चूंकि अभियोजन मामले को अन्य अभियुक्तों के संबंध में अविश्वास किया गया था, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत धारणा का खंडन किया गया और वह बरी होने का भी हकदार था। अभियोजन का मामला मौखिक और चिकित्सा साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से साबित हो गया है यह बचाव पक्ष के लिए है कि वह धारा 113-बी के तहत इस धारणा को खारिज करे कि पांच में से चार अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है और उनमें से कुछ को संदेह के लाभ

पर बरी कर दिया गया है-लेकिन प्राथमिक साक्ष्य पति के खिलाफ है-साक्ष्य के पढ़ने से पता चलता है कि यह पति ही था जिसने घटना से कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी-उसे फिर से अपनी पत्नी को पीटते हुए देखा गया था और धमकी दी गई थी कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो मृतक को इसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी-यह सच है कि एफ ऐसे मामले में जहां पांच में से चार अभियुक्तों के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को खारिज कर दिया गया है, धारा 113-बी के तहत कुछ लोगों के लिए यह धारणा हो सकती है।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः

आपराधिक अपील सं. 1327/2003

सी. आर. एल. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 7.4.2003 से।

अपील सं. 55/1990

अपीलार्थी के लिए ए. शरण, बिमल रॉय जाड, विक्रम राठौर, अनुराग शर्मा, शर्मिला उपाध्याय।

प्रत्यर्थी की ओर से कुलदीप सिंह।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था

आदेश

अभियोजन पक्ष की कहानी इस प्रकार हैः

मृतक कमलेश रानी, राम की बेटी की शादी 28 जुलाई, 1989 को भटिंडा जिले के मौर मंडी में अपीलार्थी सुधीर कुमार से हुई थी।विवाह के समय, परिवार की स्थिति के अनुरूप गहने और नकद दहेज में दिए जाते थे।हालाँकि, शादी के एक महीने बाद, अपीलकर्ता और उसके माता-पिता अंगूरी लाल और कौशल्या देवी और बहनें नीलम कुमारी और उर्मिला देवी ने अपर्याप्त दहेज लाने के लिए ई कमलेश रानी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। सुधीर कुमार ने अपने लिए एक स्कूटर और अपनी बहनों नीलम और उर्मिला के लिए एक-एक सोने की अंगूठी की भी मांग की। इस मांग से कमलेश रानी ने मौर मंडी में अपने माता-पिता को विधिवत अवगत कराया था।तेज राम ने उस मांग को पूरा करने का वादा किया जिस पर कमलेश रानी अपने वैवाहिक घर लौट आई और तुरंत उसकी सास ने उससे स्कूटर और सोने की अंगूठियों के बारे में पूछताछ की। कमलेश रानी के भाई भीम सैन ने हालांकि उन्हें बताया कि परिवार आर्थिक कठिनाइयों के कारण मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं था। हालाँकि, वह कमलेश रानी को वैवाहिक घर में छोड़ने के बाद मौर मंडी लौट आए।जी घटना से लगभग 10 दिन पहले तेज राम का छोटा भाई रामजी मौर मंडी आया और तेज राम को बताया कि आरोपी ने उसकी उपस्थिति में कमलेश रानी को थप्पड़ मारा था, जिस पर उसने वादा किया

था कि स्कूटर और सोने की अंगूठियों की मांग कुछ दिनों में पूरी कर दी जाएगी। सुधीर कुमार भी मौर मंडी आए और एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया। अपने ससुर को ऐसा न करने पर उन्होंने कमलेश रानी के लिए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। 30 नवंबर, 1989 को भीम सैन आरोपी के घर गए और बाहरी गेट को बंद पाया। लगातार घंटी बजने पर अंगूरी लाल बाहर आया लेकिन चला गया और जब भीम सैन ने घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि कमलेश रानी का शव शौचालय में पड़ा हुआ है।बी भीम सैन तुरंत अपने चाचा रामजी दास पीडब्लू. 2 के घर आए और फिर दोनों पुलिस स्टेशन गए जहाँ भीम सैन ने एक्सएच रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडी जिसके आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उप-निरीक्षक संतोख सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और आवश्यक सी पूछताछ की। अनुसंधान पूरा होने पर अंगूरी लाल, कौशल्या देवी और नीलम और उर्मिला के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए विधिवत चालान पेश किया गया और मामले को सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए लाया गया।हालांकि, सत्र न्यायालय ने डी आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 (बी) के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302/149 के तहत आरोप लगाया।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में पीडब्लू. 1 डॉ. एस. एस. मलिक के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिन्होंने शव का पोस्टमार्टम किया था, तीन प्राथमिक गवाह पीडब्लू. 2 रामजी दास, राम और पॉल, जो

मृतक के चाचा भी थे, आई. ओ. संतोख सिंह के औपचारिक साक्ष्य के अलावा। इसके बाद अभियुक्तों के बयान द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए और उन्होंने आरोपों को सरल बनाने वाले से इनकार किया। सुधीर कुमार ने हालांकि एफ की अतिरिक्त याचिका को स्वीकार कियाः

> "मैं निर्दोष हूँ। मुझे गलत तरीके से शामिल किया गया है। यह घटना दोपहर के समय से पहले हुई है और उस समय मैं और मेरे पिता अंगूरी लाल हमारे मेडिकल स्टोर में मौजूद थे, जबकि मेरी बहन नीलम कुमारी निजी स्कूल में पढ़ाती थी और उर्मिला अपने ससुराल में थी।मैं मिर्गी से पीड़ित था और शादी से पहले और बाद में डॉ. सोहन लाल ग्रोवर और अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा मेरा इलाज किया जाता था और दवाओं के प्रभाव के कारण मैथुन करने के लिए मैं असमर्थ था और इस कारण से मेरी पत्नी अवसाद में रहती थी। घटना के बाद हमें दुकान से बुलाया गया। मैंने कभी भी मृतक के माता-पिता से दुर्व्यवहार या दहेज की मांग नहीं की।"

उन्होंने बचाव में कुछ सबूत भी पेश किए। निचली अदालत ने सबूतों की सराहना पर अपीलार्थी और उसकी मां कौशल्या देवी को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें सात साल की आर. आई. की सजा सुनाई। अंगूरी लाल, उर्मिला और नीलम को

हालांकि बरी कर दिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय में एक अपील की गई, जिसने 7 अप्रैल, 2003 के अपने फैसले में, जिसे वर्तमान कार्यवाही में विवादित माना गया है, कौशल्या देवी की अपील को भी स्वीकार कर लिया। इसलिए, विशेष अवकाश के माध्यम से यह अपील केवल मृतक के पति सुधीर कुमार तक ही सीमित है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए. शरण और पंजाब राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री कुलदिप सिंह को सुना है। हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष की कहानी ई मृतक के चाचा PW.2-रामजीदास, पीडब्लू. 3 तेज राम, उसके पिता और पीडब्लू. 4 सतपाल, मृतक के एक और चाचा के साक्ष्य से पूरी तरह से साबित होती है।। चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक 95 प्रतिशत जल गया था और शव घर के बाथरूम में मिला था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामलों में साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत धारणा को उठाया जाना है, इस धारणा को दूर करना बचाव पक्ष का काम है। हम पाते हैं कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने सबूतों का अध्ययन किया है और केवल एक यानी मृतक के पति के खिलाफ दोषसिद्धि बनाए रखते हुए तीन अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया है। हम सबूतों से यह भी देखते हैं कि शादी जी 28 जुलाई, 1987 को की गई थी और मृत्यु 30 नवंबर, 1987 को हुई थी, जो शादी के ठीक चार महीने बाद हुई थी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री शरण ने, तथापि, प्रस्तुत किया है कि इस तथ्य के आलोक में कि सुधीर कुमार बनाम पंजाब राज्य के चार के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया गया था

पाँच अभियुक्त, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत धारणा का खंडन किया गया था और इस तरह अपीलार्थी अन्य अभियुक्तों के साथ समानता पर बरी होने का हकदार था। यह सच है कि पाँच में से चार अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, लेकिन हम पाते हैं कि प्राथमिक साक्ष्य सुधीर कुमार, अपीलार्थी के खिलाफ है। सबूतों को पढ़ने से पता चलता है कि यह अपीलकर्ता ही था जो घटना से कुछ दिन पहले अपने ससुर के घर गया था और कमलेश रानी को स्कूटर और दो सोने की अंगूठियों की मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और मृतक के भाई भीम सैन ने उसे बताया था कि उसके पिता तेज राम वित्तीय कठिनाइयों के कारण मांगों को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे।कुछ दिनों बाद रामजी दास (पीडब्लू. 2) भी कमलेश रानी के ससुराल गए थे और उसके बाद तेज राम को सूचित किया था कि अपीलकर्ता को उस समय उसकी पत्नी को पीटते हुए पाया गया था और एक बार फिर धमकी दी थी कि अगर मांगें पूरी नहीं हुईं तो कमलेश कौर को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।यह सच है, जैसा कि श्री शरण ने तर्क दिया है कि एक ऐसे मामले में जहां पांच में से चार अभियुक्तों के संबंध में

विशिष्ट साक्ष्य को खारिज कर दिया गया है, धारा 113-बी के तहत धारणा को कुछ हद तक खारिज किया जा सकता है, लेकिन एक ओवरव्यू पर हम पाते हैं कि यहाँ अपीलार्थी की प्राथमिक भूमिका और साक्ष्य का भार है।

तदनुसार, हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

याचिका खारिज कर दी गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।